-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कमासिन पुलिस द्वारा अवैध तमंचा लेकर पिता को धमकाने वाले पुत्र को पिता की शिकायत पर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा अवैध तमंचा लेकर पिता को धमकाने वाले पुत्र को पिता की शिकायत पर अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि थाना कमासिन क्षेत्र के बेनामऊ के रहने वाले सदाशिव ने थाना कमासिन पर सूचना दी कि उसका उसका पुत्र गया प्रसाद उसे अवैध तमंचा लेकर डराता है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना कमासिन पुलिस द्वारा अभियुक्त को ग्राम मुसीवा से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गया प्रसाद पुत्र सदाशिव निवासी बेनामऊ थाना कमासिन जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 289/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार सैनी
2. उ0नि0 श्री अनुराग सिंह
3. कां0 गोरख प्रसाद
4. कां0 मुकेश सिंह